

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा झालावाड़

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक: शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102 (200-बी)/ सी.भ./बेसिक कम्प्यू.अनु./2022 दिनांक 03.04.2023 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा-2022 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को झालावाड़ जिला आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय स्तर पर बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 12.04.2023 एवं दिनांक 13.04.2023 को आयोजित परामर्श शिविर (काउंसिलिंग) में पृष्ठांकित सूची में अंकित अनुपस्थित अभ्यर्थियों को प्रदर्शित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों में से **बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक** के पद पर इनके नाम के सम्मुख अंकित विधालयों में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल-08 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर राज्य सरकार के आदेशानुसार नियमानुसार नियत मानदेय **18500/-रु.** (अठारह हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

01. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
02. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
03. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
04. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
05. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियों की जावेंगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :

1. काउंसिलिंग में अनुपस्थित रहने के कारण पृष्ठांकित सूची में अंकित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का मिला न कार्यालय स्तर पर नहीं किया गया है। अतः उक्त अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज कार्यालय स्तर पर सत्यापन उपरान्त ही कार्यग्रहण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी से संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कामिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
4. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावें।
5. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर ली जावे।
6. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
7. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
8. **आपके स्तर पर यह भी जाँच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:-**
- (1) अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

Signature valid

Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : District Education
Officer
Date: 2023.04.13 20:33:50 IST
Reason: Approved



- (2) अन्य पिछड़ा वर्ग का समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति का नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही करें। यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
9. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार के परिपत्र प.7/1/DOP/A-II@2019 दिनांक 20.10.2019 के अन्तर्गत जारी किया होना चाहिये।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर, सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को अविलम्ब सूचना भिजवाई जावे।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्राप्त किया जावे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
12. नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में 50/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लें कि यदि उनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी बचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रारूप में प्राप्त की जावे।
14. सम्बन्धी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जावें।
15. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह सम्बन्धी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं दिनांक 20.11.15 की अनुपालना में पूर्ति करावें। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिये कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे।
16. सम्बन्धित संस्था प्रधान अभ्यर्थियों की सेवा पुस्तिका तैयार कराते समय 10वीं परीक्षा की अंकतालिका के आधार पर नाम,पिता का नाम एवं जन्मतिथि आदि अंकित करें।
17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे जिसका आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
- इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 04.05.2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्था प्रधान इन्हें शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

(मोहनलाल मीणा)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, झालावाड़

क्रमांक:-जिशा/मुख्या/माशि/झाला/संस्था-1/फा-बेसिक कम्प्यूअनुदेशक भर्ती-2022/2023/1446 दिनांक 13.04.2023
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : District Education
Officer
Date: 2023.04.13 20:33:50 IST
Reason: Approved



5. शासन उप सचिव कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
7. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
8. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग,कोटा।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान झालावाड़।
10. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि आपके ब्लॉक से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल विस्तृत आवेदन पत्र स्थानीय कार्यालय से प्राप्त कर सम्बन्धित संस्था प्रधानों को उपलब्ध करावें।
11. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला झालावाड़ कार्यालय को प्रेषित किये जा चुके हैं, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लें।
12. सम्बन्धित आशार्थी ।
13. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
14. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, झालावाड़

Signature valid

Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : District Education
Officer
Date: 2023.04.13 20:33:50 IST
Reason: Approved



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा झालावाड

क्रमांक:-जिशिअ/मुख्या/माशि/झाला/संस्था-1/फा-बेसिक कम्प्यूअनुदेशक भर्ती-2022/2023/1446

दिनांक 13.04.2023

S.N.	SPECIAL COMMENT	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME	FNAME	DOB	CATE	H CATE	GENDER	SEL CATE	HOME ADDRESS	POSTING PLACE	BLOCK	CANDIDATE PHOTO
1	--	186964	74	DR. NEHA JAIN	SHARAD JAIN	03-09-1981	GEN	--	Female	GEN	11C KALAJI GORAJI - - UDAIPUR pincode 313001 Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KACHANARA (224689)	DAG	
2	--	228265	293	RADHA PURI	RAM SINGH GOSWAMI	21-07-1988	OBC	--	Female	GEN	A 10 SHIV VIHAR NEAR DUNGARI PALACE 21 NO. BUS STAND JAIPUR pincode 302034 Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DAG (224703)	DAG	
3	--	196377	1056	TARANNUM SHAIKH	MOHAMMAD CHAMAN SHAIKH	07-05-1983	GEN	--	Female	GEN	3 TA 25 HOUSING BOARD SHASTRI NAGAR JAIPUR pincode 302016 Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HARNAWADA (224694)	DAG	
4	--	194344	1076	PRIYANKA KULHARI	INDRARAJ	04-01-1993	OBC	--	Female	GEN	105, AGUNA BAS, MARDATOO BARI FATEHPUR, SIKAR - SIKAR pincode 332317 Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DEVRI CHANCHAL (224567)	AKLERA	
5	--	191005	1876	DEVIKA CHOUDHARY	BRUJ MOHAN CHOUDHARY	22-11-1996	OBC	--	Female	GEN	HNO. 248, SITHOLO EVAN SUTHARO KI DHANIYAN, VILL- KHARI KARAMSOTA, TEH - NAGAUR - NAGAUR pincode	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADAY (224585)	BAKANI	
6	--	285711	5021	GAURAV MITTAL	MAHENDR A KUMAR MITTAL	25-10-1993	GEN	--	Male	GEN	C 71 TALWANDI - - KOTA pincode 324005 Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DUDHALIYA (224697)	DAG	

Signature valid

Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : District Education
Officer
Date: 2023.04.13 20:33:49 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा झालावाड

क्रमांक:-जिशिअ/मुख्या/माशि/झाला/संस्था-1/फा-बेसिक कम्प्यूअनुदेशक भर्ती-2022/2023/1446

दिनांक 13.04.2023

7	--	228817	5446	BHANU PRAKASH AGARWAL	NEMI CHAND AGARWAL	20-06-1989	GEN	--	Male	GEN	C/O NEMI CHAND AGARWAL GULAL KUND, NEAR NEHRU VIDYA MANDIR GOL BAGH ROAD BHARATPUR pincode	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DOBADA (224706)	DAG	
8	--	282642	6077	MAHENDRA KUMAR SHARMA	RAMESHWAR PRASAD SHARMA	13-11-1983	GEN	--	Male	GEN	HOUSE NO 28 BARI JAWAHAR NAGAR KOTA RAJASTHAN - KOTA pincode 324005 Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHATURIYA (224695)	DAG	
9	--	274264	6238	MANISH SHARMA	BABU LAL SHARMA	25-02-1990	OBC	--	Male	OBC	1550 BASANT VIHAR - KOTA pincode 324009 Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DODI (224705)	DAG	

Signature valid

Digitally signed by Mohan Lal Meena
Designation : District Education
Officer
Date: 2023.04.13 20:33:49 IST
Reason: Approved